



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102026-277089
CG-DL-E-12102026-277089

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5372]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 12, 2026/आश्विन 20, 1948

No. 5372]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2026/ASVINA 20, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5586(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट 0 किमी से 42 किमी के Greenfield Highway तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-Greenfield Highway तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (देहरादून)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या Greenfield Highway के कि.मी 0 से कि.मी	उत्तराखंड	देहरादून	विकास नगर 1	रामपुर भाऊवाला
					2	झाझरा

[फा. सं. NHAI/UK/NH07]
शेख अमीनखान, निदेशक